


से प्रस्तुत जबाब पर पुनः पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निर्णय दिनांक 22.09.2020 को पारित किया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। इसी प्रकार जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए दिनांक 28.12.2021 को विस्तृत, स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है। इसलिए उक्त आदेश में भी हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2021 व नायब तहसीलदार नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(सांवर मल्ल वरमा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

